# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

**पत्रांक– 3931 /मीरजापुर/ 15 दिनांक मीरजापुर, मई 05, 2022**

सेवा में,

**मुख्य वन संरक्षक,**
**मीरजापुर क्षेत्र,मीरजापुर।**

विषय– उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड वाराणसी द्वारा 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाइन के निर्माण में प्रभावित मीरजापुर वन प्रभाग की 37.51 हे0 ( विभिन्न प्रभागों की कुल 319.28 हे0) आरक्षित वन भूमि की 20 वर्षो हेतु लीज पर दिये जाने की स्वीकृति उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद को प्रदान की गयी थी, जिसकी लीज अवधि दिनांक 22.02.2014 को समाप्त होने के उपरान्त उक्त पारेषण लाइन के नवीनीकरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् अनुमति प्रस्ताव के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ– कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ का पत्र संख्या–2409/11–सी, लखनऊ, दिनांक 17.02.2021 ।

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव में प्रभावित होने वाला वन भूमि के लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव उचित माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित किया गया । उनके द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त 02 बिन्दुओं पर आपत्ति लगाते हुये अपने कार्यालय के पत्रांक– 2409/11–सी, लखनऊ, दिनांक 17.02.2021 द्वारा आपत्ति लगाते हुये सन्दर्भित पत्र में इंगित कमियो का निराकरण करने का निर्देश दिया गया है जिसके अनुपालन में आपत्तियो का निराकरण निम्नानुसार है :–

| क0सं0 | मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ का पत्र संख्या–2409/11–सी, लखनऊ, दिनांक 17.02.2021 द्वारा आपत्ति | निराकरण |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1– | इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 28.09.2021 के द्वारा इंगित कमियो के निराकरण के क्रम में आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्न किये गये दिनांक 06.10.2021 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में विचारोपरान्त निम्नलिखित मय स्थिर किया गया है।<br>चूकिं भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/91–एफ0सी0, दिनांक 01.11.1993 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नही थी। ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नही होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।<br>उक्त के कम में ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा आहुत बैठक में विषयगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन के पत्रांक–जी0आई0–444/14–2–93–707/89 दिनांक 08./23.02.1994 द्वारा निर्गत विज्ञप्ति में वर्णित शब्दो " मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि राज्यपाल महोदय उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद को उक्त योजना हेतु 319.28 हे0 वन भूमि 20 वर्षो हेतु लीज पर दिये जाने की स्वीकृति भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/91–एफ0सी0, दिनांक 01.11.1993 में निहित शर्तो एवं निम्न शर्तो (विज्ञप्ति में उल्लिखित शर्ते) पर प्रदान करते है" का संज्ञान नही लिया गया है। अतः प्रकरण में उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत उक्त विज्ञप्ति में अधिरोपित शर्तो का भी संज्ञान | मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06.10.2021 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त जारी किया गया है, जिसमें उल्लिखित है कि "चूकि भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/91–एफ0सी0, दिनांक 01.11.1993 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नही थी ऐसे में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नही होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नही होती है"।<br>उ0प्र0 शासन के पत्रांक–जी0आई–444/14–2–93–707/89 दिनांक 08/23.02.1994 द्वारा निर्गत विज्ञप्ति में वर्णित शब्दो" मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि राज्यपाल महोदय उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद को उक्त योजना हेतु 319.28 हे0 वन भूमि 20 वर्षो हेतु लीज पर दिये जाने की स्वीकृति भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/91–एफ0सी0, दिनांक 01.11.1993 में निहित शर्तो एवं निम्न शर्तो (विज्ञप्ति मे उल्लिखित शर्ते) पर प्रदान करते है " का सज्ञान लेत हुये महोदय की अध्यक्षता में आहुत बैठक |

| | | |
|---|---|---|
| | लेते हुये कार्यवाही करने का कष्ट करे तथा इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 28.09.2021 के द्वारा इंगित कमियो के निराकरण के उपरान्त संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करे। | दिनांक 06.10.2021 में मत स्थिर किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी का कोई अतिरिक्त मत नही है। |
| 2– | प्रस्ताव में संलग्न किया गया एन0पी0वी0 की गणना भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06.01.2022 द्वारा जारी संशोधित दरो के अनुसार नही है। अतः भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06.01.2022 के द्वारा जारी संशोधित दरों के अनुसार समस्त सम्बन्धित वन प्रभागो की एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव में संलग्न करे तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण गणना ऑन लाइन भाग–2 से डिलीट कर संशोधित गणना आन लाइन अपलोड करे। | भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06.01.2022 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार एन0पी0वी0 का सम्बन्धी प्रमाण प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है तथा पूर्व में त्रुटिपूर्ण गणना ऑन लाइन भाग–2 से डिलीट कर संशोधित गणना आन लाइन अपलोड कर दिया गया है। |

**संलग्नक–उपरोक्तानुसार (4 प्रतियों में)।**

भवदीय,

(पी0एस0त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

**संख्या** 3931 **अ/समदिनांक**

1. प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **संलग्नक– उपरोक्तानुसार।**
2. प्रतिलिपि–अधिशासी अभियंता, विद्युत प्रेषण खण्ड, गाजीपुर, 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र , तलब्रल हाइडिल कालोनी, गाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(पी0एस0त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर